न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – हुक्मीचन्द रोहलानियां , आर.ए.एस.0
मुकदमा नंबरः– 170 / 2022 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. उगमनाथ पुत्र रतना ओड़ जाति ओड़ आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. मेघा पुत्र रतना ओड़ जाति ओड़ आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. जगु पुत्र सोहन दरोगा, जाति दरोगा आयु वयस्क, निवासी–चिताम्बा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

उपस्थित

1. अशोक कुमार लखारा — अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार — विपक्षी संख्या 2

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: **निर्णय** :: दिनांक 04.09.2023

प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा –251 ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर ग्राम चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 2795 रकबा 0.1897 है0, आ0नं0 2796 रकबा 0.2276 है0 भूमि कुल किता 2 रकबा 0.4173 हैक्ट्यर भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड़ में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड़ है। उक्त वर्णित आराजी संख्या 2795, 2796 में आने–जाने हेतु एक मात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आ0नं0 2687 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नंबर 2799 की मेड़ के सहारे होकर सरकारी रास्ता आ0नं0 2794 से होकर आ0नं0 2795, 2796 में आता है, जिसको विपक्षीगण बार–बार अवरूद्ध करते है अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी आराजी में फसल काश्त हेतु आने–जाने के मौजूद रास्ते को 30 फीट चौड़ाई में राजस्व रेकार्ड़ (नक्शें) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए सदैव तैयार है।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर विपक्षीगण को सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड़ एडी भिजवाये गये। विपक्षीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नहीं या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नहीं के संबंध में मौके की जॉच करा तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाकर शामिल फाईल की गई।

प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर अपनी आराजी नंबर 2795, 2796 पर फसल काश्त हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2687 (सरकारी रास्ता) व विपक्षी संख्या 01 की आ0नं0 2799 व आ0नं0 2794 (सरकारी रास्ता) से होकर जाने के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजुद नहीं होने से मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार रास्ता दर्ज करने का निवेदन करते हुए नियमानुसार निर्धारित राशि जमा कराने पर अपनी सहमति दी। अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री अशोक कुमार लखारा ने बहस के दौरान कथन किया कि मुख्य मार्ग पर प्रार्थीगण की स्वयं की आराजीयात होने से [illegible] ही अपनी आराजियात में पगडण्डी से आते–जाते रहे है। मौके रिपोर्ट में भी दर्शाया गया प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजियात से आते–जाते रहे है।

तहसीलदार करेड़ा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2023 को प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता विपक्षी संख्या 1 की आ0नं0 2799 से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी नं0 2794, 2795 में जाते हैं। प्रार्थीगण को अपनी आराजी नं0 2794, 2795 में जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.12 11:05:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

हेतु विपक्षीगण की आराजी नं0 2799 की मौका रिपोर्ट में नक्शेनुसार 30 फीट चौडाई (5 मीटर चौड़ एवं 51 मीटर लम्बा) उत्तर दिशा में जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है रास्ता प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता विपक्षी संख्या 1 की आराजी नं0 2799 जिसका रकबा 0.4426 है0 में से 0.0255 हैक्टयर बनता है। मौका रिपोर्ट अनुसार अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है तथा प्रस्तावित मार्ग ही सहज व सुगम मार्ग है। विपक्षी सं0 1 व 2 ने राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ते में प्रार्थी को दी जाने वाली भूमी के बदले उतनी ही भूमी प्रार्थीगण यदि विपक्षीगण को देते हैं तो प्रस्तावित रास्ता दिए जाने पर विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। पैराकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता दिये जाने हेतु सहमत है। भूमि के बदले भूमि दिए जाने पर रास्ता दिया जाना सहमतिनुसार उचित है।

मैनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया । प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 2795, 2796 दर्ज रेकार्ड है। जिसमें आने–जाने हेतु मौका रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 की आ0नं0 2799 नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शायेनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया जो निकटतम मार्ग होने व राजस्व रेकार्ड में अन्य कोई मार्ग नहीं होने के मध्यनजर खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु विपक्षीगण की सहमती अनुसार भूमि के बदले भूमि दिय़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है।

आदेश

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी सं. 1 की खातेदारी हक की आराजी नं0 2799 रकबा 0. 4426 है0 में से 0.0255 हे0 (5 मीटर लंबा व 5 मीटर चौड़ा रास्ता) का रास्ता प्रार्थीगण की कृषि आराजियात 2795, 2796 पर कृषि कार्य हेतु आने–जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शे में भी रास्ता प्रस्तावित नक्शे अनुसार दर्ज करने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रस्तावित नक्शा निर्णय का भाग होगा। इस आदेश की पालना में तहसीलदार करेडा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे की रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0255 हे0 भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुना मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को बतौर क्षतिपूर्ती हेतु दिलायी जावे एवं रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हुकमीचन्द रोहलानियां)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.12 11:05:53 IST
Reason: SelfAttested